नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
आबंटन शरायते–ठेका मछली मार्केट
वित्तीय वर्ष (2026–27)

1. ठेका आबंटन हेतु सीलबन्द निविदाऐ पंजीकृत डाक/को द्वारा ही प्राप्त किये जायेगें।
2. ठेके हेतु न्यूनतम धनराशि 137052=00+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त निर्धारित है।
3. निविदा प्रपत्र मूल्य 500 एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी अतिरिक्त सहित 590 रू होगा।
4. निविदा (तकनीकि) के साथ व्यक्ति/संस्था/फर्म को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगें।
   - आधार कार्ड
   - पेंन कार्ड
   - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों।
   - सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी) जो 06 माह से अधिक पुराना न हो।
   - रू 13,705=00 का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय एफ0डी0आर0 (मूल रूप में) जमानत धनराशि के रूप में।
   - निविदादाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदादाता को तत्काल स्वीकृत निविदा धनराशि का 1/2 भाग व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि सहित पालिका कोष में जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। स्वीकृत ठेकेदार द्वारा धनराशि जमा न करने एंव ठेका लिये जाने से मना करने पर ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा,एवं ठेका द्वितीय व तृतीय उच्चतर निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत करने पर विचार किया जोयगा।
6. ठेका आबंटन हेतु सीलबन्द निविदा पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा ही प्राप्त किये जायेंगे। तकनीकि निविदा व वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग अलग होगा,तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफो का एक बड़े लिफाफे में बन्द कर सीलबन्द करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
7. तकनीकि निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. ठेके की 25 प्रतिशत शेष धनराशि 30 सितम्बर एवं 25 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी 2027 तक जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगरपालिका कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होगें जिन्हें किस्त जमा न होने की स्थिति में पालिका कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैको का अनादर (चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. उच्चतम निविदादाता/कोटेशनदाता को ठेका स्वीकृत होने के 03 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र सं0–375 / म0निनि0 / 2012–13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।

10. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

11. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तो के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
12. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों / देयकों के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
13. ठेकेदार को मा0 न्यायालय / शासन / प्रशासक / अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका रामनगर द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

14. ठेकेदार द्वारा फड़ / ठेला व्यवसायियों को दी जाने वाली रसीद ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने व्यय पर छपवाई जायेंगी, रसीद की काउण्टर प्रतिपर्ण (काउण्टर फॉईल) विवरण सहित अपने पास रखना आवश्यक होगा, जिसे विभागीय अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

15. मछली मार्केट में स्थित एक फड़ बाजार है, जिसमें लाईसेन्स प्राप्त किए व्यक्ति ही मछली बेच सकेंगे।
16. नगरपालिका परिषद से लाईसेन्स लिए बिना कोई भी व्यक्ति मछली नहीं बेच सकेंगे।
17. ठेकेदार मछली बेचने वाले व्यक्ति से 50 पैसे प्रतिकिलों के हिसाब से महसूल वसूल करेगा।
18. नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों को ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
19. ठेका स्वीकृत एवं अनुबन्ध होने के पश्चात् ठेकेदार को ठेके का कब्जा व वसूली हेतु आदेश दिया जाएगा।
20. ठेके के संचालन के सम्बन्ध में पालिका के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत दिए गए आदेशों / निर्देशों का ठेकेदार को पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
21. ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दिनांक 31–03–2027 की सायं 05.00 बजे ठेके का दखल पालिका को देना होगा, अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।
22. ठेके की वसूली निर्धारित दरों पर करने की पूर्ण जिम्मेंदारी ठेकेदार स्वयं करें या वसूली पर लगाए जाने वाले व्यक्ति को फोटो सहित पहचान पत्र दिए जाने अनिवार्य होगें।

23. ठेके की धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित उच्चतम निविदादाता द्वारा पूर्व में निविदा के साथ संलग्न जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की पुनः नीलाम किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार को इसमें आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
24. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर ठेके की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे / प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

25. ठेका बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद का होगा।

26. किसी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।

27. ठेके की उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की किसी भी प्रकार की बकाया व क्षतिपूर्ति की धनराशि भू–राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।

28. ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5000=00 (पाँच हजार रू0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार रू0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू–राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, रामनगर
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, रामनगर